संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी नहीं। तथापि, आवेदकों द्वारा अपूर्ण सूचना दिये जाने आदि के कारण कुछ मामलों में देरी हुई है।

(ख) ऊपर (क) पर दिये गये उत्तर को दृष्टिगत रखते हुये सरकार इस संबंध में कोई जांच करना आवश्यक नहीं समझती है ?

(ग) से (ङ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि राशन कार्ड एक निर्धारित अवधि के भीतर जारी कर दिए जाएं, दिल्ली प्रशासन ने अनुदेश जारी किये हैं कि यदि आवेदक किराये की रसीद, बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन-बिल, गृह-कर की रसीद, गैस कनेक्शन आदि जैसे दस्तावेजी साथ प्रस्तुत करता है तो निवास-स्थान संबंधी तथ्य के पश्चात् स्थायी राशन कार्ड तैयार करके 72 घंटे के भीतर आवेदक के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये। अन्य मामलों में, राशन कार्ड जारी करने से पहले मौके पर जांच, जिसमें दो स्वतंत्र गवाहों के बयान लेना भी शामिल है, की जानी चाहिये। जिन मामलों में राशन कार्ड जारी नहीं करने होते हैं, वहां आवेदक को इसके लिये कारण बताते हुये लिखितरूप में सूचित करना होता है।

नेत्रहीन शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार

2924. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नेत्रहीन शिक्षित बेरोजगारों की राज्यवार संख्या क्या है,

(ख) क्या यह सच है कि नेत्रहीन शिक्षित व्यक्तियों को आरक्षण के मुताबिक राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकर रोजगार मुहैया नहीं करा पा रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन शिक्षित नेत्रहीनों को योग्यतानुसार रोजगार मुहैया कराने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) नेत्रहीन शिक्षित बेरोजगारों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार तथा अधिकांश राज्य सरकारों ने उचित पदों पर नेत्रहीनों के लिए नौकरियों में आरक्षण किया हुआ है और उन्हें नौकरियां प्रदान कर रही हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में खान मालिकों को मुआवजा

2925. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद अब तक किन-किन कम्पनियों और निजी खान मालिकों को मुआवजे के भुगतान का मामला केन्द्रीय सरकार के पास निलम्बित है ; और

(ख) इन मामलों के शीघ्र निपटाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम्दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Tenements for Weaker Section of society in Chandigarh

2926. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the number of tenements constructed for the weaker section of society at Chandigarh during the year 1986;

(b) what is the number of people without a shelter in the Union Territory; and